न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

डॉ0 विजय माहेश्वरी पिता बी.एल.चेचानी निवासी 1–एफ38 हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा, जिला भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :– 70 / 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2026	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान् की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 958 दिनांक 24.04.2026 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना / जवाब तहसीलदार के पत्र क्रमांक 22 दिनांक 08.04.2026 से उपलब्ध करवा दी गई। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश किया, जो शामिल फाईल है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 05–05–2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(जसमीत सिहं संधू)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.) जिला कलक्टर भीलवाड़ा	